न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या–117/2022

राज्य

बनाम्

निरंजन साव वगैरह

–: आदेश :–

वर्तमान वाद की प्रक्रिया जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 946/एम0 दिनांक 30.09.2022 एवं पत्रांक 1072/एम0 दिनांक 21.11.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वाद जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के द्वारा "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(V) के आलोक में जप्त 1. महिन्द्रा ट्रैक्टर रंजि0 न0–JH03G-3758, Eng. No.- NGNL01163, Chassis No- NGNL01163 एवं 2. महिन्द्रा ट्रैक्टर रंजि0 न0–JH19B-4903, Eng. No.- 33.1008/SYK04451, Chassis No-WSTK25428151767 को राजसात करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है।

विपक्षी अनुप कुमार, पिता– त्रिवेणी प्रसाद, ग्राम+पो0– सेरक, थाना– चन्दवा, जिला– लातेहार के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी का जप्त ट्रैक्टर रजि0 संख्या–JH19B-4903 को बालू ढुलाई के आरोप में जप्त किया गया है। कथित घटना तिथि को विपक्षी द्वारा मसोमात कबुतरी देवी के आग्रह पर प्रधानमंत्री आवास निर्माण हेतु बालू लाया जा रहा था। विपक्षी अनुप कुमार के अज्ञानतावश वाहन पर बालू ढुलाई प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु कर रहा था तथा यह प्रभाव में था कि सरकारी योजना अन्तर्गत

22560

भवन निर्माण हेतु बालू ढुलाई कर रहा है। विपक्षी से अज्ञानतावश अपराध हुआ है, जो कि पहली गलती है, जिसे क्षमा किया जा सकता है।

विपक्षी निरंजन साव, पिता– भगवती साव, ग्राम– चिरो, पो0–सेरक, थाना– चन्दवा, जिला– लातेहार के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी प्रधानमंत्री आवास निर्माण हेतु ट्रैक्टर रजि0 संख्या–JH03G-3758 से अपना शौचालय निर्माण कर बचे हुए बालू को उठाकर पानो देवी, पति– स्व0 महरंग तुरी, ग्राम–चन्दवा, शिवाटोली, थाना– चन्दवा, जिला– लातेहार के आवास निमार्ण में ले जा रहे थें। विपक्षी अपना गलती स्वीकार करते हैं और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे।

राज्य की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि दिनांक 29.09.2022 को श्री अरविन्द कुमार सिंह, स0अ0नि0, चन्दवा थाना एवं सशस्त्र पुलिस बल, चन्दवा थाना द्वारा वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेशानुसार चन्दवा थाना क्षेत्र अन्तर्गत अवैध खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु निरीक्षण एवं जांच के क्रम में शिवाटोली चन्दवा के पास समय–5:30 बजे पूर्वाह्न में चन्दवा–लातेहार मुख्य सड़क के लातेहार की ओर से परिवहन करते हुए 1. महिन्द्रा ट्रैक्टर रंजि0 न0–JH03G-3758, Eng. No.-NGNL01163, Chassis No-NGNL01163 एवं 2. महिन्द्रा ट्रैक्टर रंजि0 न0–JH19B-4903, Eng. No.- 33.1008/SYK04451, Chassis No-WSTK25428151767 के ट्रॉली में लदे अवैध बालू खनिज सहित ट्रैक्टर वाहन को स0अ0नि0 चन्दवा थाना एवं सशस्त्र पुलिस द्वारा जप्त कर चन्दवा थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है तथा "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(V) के तहत् राजसात की कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया।

दोनों पक्षों के बहस सुनने एवं तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है।

अतः जप्त वाहन 1. महिन्द्रा ट्रैक्टर रंजि0 न0–JH03G-3758, Eng. No.-NGNL01163, Chassis No-NGNL01163 एवं 2. महिन्द्रा ट्रैक्टर

रंजि0 न0–JH19B-4903, Eng. No.-33.1008/SYK04451, Chassis No-WSTK25428151767 को ट्रॉली सहित निम्नलिखित शर्तों एवं एक–एक लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार के आधार पर विमुक्त करने का आदेश दिया जाता हैः–

1. उक्त वाहन की प्रकृति वो पहचान बिना न्यायालय के आदेश का बदल नहीं सकेंगे।
2. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
3. वाहन को किसी दूसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
4. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

विपक्षी अपने वाहन के संबंध में उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक–एक लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात 08 सप्ताह के अन्दर दाखिल करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.02.03 13:16:17 +05:30
Location: 192.168.196.97